राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5268/2015

तिलक राज पुत्र स्व. ज्ञान चंद, जाति पंजाबी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी डी-6, चंद्र बरदाई नगर, अजमेर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव शिक्षा विभाग के माध्यम से (2), सचिवालय राजस्थान जयपुर

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अजमेर, जिला अजमेर।

4. प्रधानाध्यापक, सरकारी महात्मा गांधी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

---प्रतिवादी

<u>के साथ जुड़ा हुआ</u>

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 5254/2015

राधेश्याम पुत्र स्व. मनीराम, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7, स्टेट वेयरहाउस के पीछे, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य ,सचिव शिक्षा विभाग के माध्यम से (2), सचिवालय राजस्थान जयपुर

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

4. प्रधानाध्यापक, सरकारी महात्मा गांधी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री एच. एस. सिद्धू की ओर से श्री प्रदीप सिंह खोसा

उत्तरदाता(गण) के लिए : श्री सरवन कुमार

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>18/01/2024</u>

1. उपरोक्त शीर्षक वाली दो याचिकाएं 2015 में दायर की गई थीं, जिसमें राज्य सरकार के तहत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में याचिकाकर्ताओं को प्राचार्य के रूप में पदोन्नत करने के लिए प्रतिवादी को आदेश देने के लिए एक उचित रिट या निर्देश की मांग की गई थी।

2. सबसे पहले मामले के आवश्यक तथ्य।याचिकाकर्ताओं को 1992 में व्याख्याता (ड्राइंग) के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका रोजगार 1970 के राजस्थान शैक्षिक सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।प्रतिवादी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राचार्य के पद के लिए पदोन्नति रिक्तियों की पहचान की।याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र थे और पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया था।उन्हें 26 मार्च 2015 के एक आदेश के तहत पदोन्नति के लिए चुना गया था, इस शर्त के साथ कि बिना बी.एड. डिग्री वाले उम्मीदवार पदोन्नति के लिए अयोग्य है।

2.2. पदोन्नति दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को बी. एड. योग्यता की कमी का हवाला देते हुए 4 मई, 2015 के आदेश द्वारा प्राचार्य की भूमिका संभालने से रोक दिया गया था।

3. इसलिए तत्काल रिट याचिका।

4. केस फाइल को सुना और पढ़ा।

5. निस्संदेह, संबंधित नियमों के अनुसार, प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए बी. एड. की डिग्री एक अनिवार्य योग्यता है।इन नियमों को याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल रिट

कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही याचिकाकर्ता ने अपेक्षित बी.एड. डिग्री प्राप्त की थी। जिसके बाद उन्हें प्राचार्य की पदोन्नति भूमिका निभाने की अनुमति दी गई।

6. नतीजतन, याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के पद पर नियुक्ति को तब तक रोकने के लिए प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वे अपनी बी. एड. की डिग्री प्राप्त नहीं कर लेते।

7. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उक्त पद ग्रहण करने के लिए उपरोक्त डिग्री की आवश्यकता वाले अनिवार्य नियमों को चुनौती नहीं दी गई है।इसलिए, मुझे प्रतिवादी के कार्यों और निर्देशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

8. विदा लेने से पहले, मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि प्राचार्य के पद के लिए बी. एड. योग्यता रखने की आवश्यकता पर भी इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था, लेकिन डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8012/2015 घनश्याम गोस्वामी बनाम राज्य में दिए गए एक फैसले में खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था।

9. पूर्वगामी को देखते हुए, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

10. निरस्त की जाती है । लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।